# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 156/2017

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरजोली, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत नेवर जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत नेवर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. रामा देवी पत्नी स्व0 श्री मूलचन्द जाति भीणा निवासी ग्राम सरजोली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

..... गैर निगरानीकर्ता

निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत नेवर दिनांक 08.02.1987 को पट्टा जारी किया गया।

---

निर्णय दिनांकः 17.04.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत नेवर, पंचायत समिति, जमवारामगढ के आदेश दिनांक 08.02.1987 जिससे रामा देवी पत्नी स्व0 श्री मूलचन्द मीणा निवासी ग्राम सरजोली तहसील जमवारामगढ को पट्टा दिया गया से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या–एक का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से पं0 राजेन्द्र डांगरवाडा उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। मिसल ग्राम पंचायत नेहर के पत्रांक 78 दिनांक 13.11.2017 से प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार श्री रामधन चौधरी ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत नेवर ने नियमों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। राजस्व ग्राम सरजोली तहसील जमवारामगढ में स्थित खसरा नंबर 42 के उत्तर साईड अर्थात् दोनो की पश्चिमी सीमा पर उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का जो पट्टा दिया है गलत रूप से नियम विरूद्ध खातेदारी भूमि में दिया गया है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नेवर द्वारा निगरानीधीन पट्टा खसरा नंबर 32 की दक्षिणी सीमा तथा ख0न0 42 की उत्तरी सीमा से लगवा दिया है। जबकि ख.न. 42 रामसिंह पुत्र छीतर सिंह की खातेदारी भूमि रही है। ग्राम पंचायत को खातेदारी भूमि में पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार जमवारामगढ की रिपोर्ट दिनांक 12.12.2017 से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि खातेदारी भूमि है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नेवर द्वारा नाजायज तरीके से गैर निगरानीकार संख्या 2 को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से विवादित पट्टा जारी किया जो पंचायती राज नियमों के विरूद्ध है। अतः निगरानकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.02.1987 को निरस्त किया जावें। वकील निगरानीकर्ता ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान RRT 2005 HC P 534 पेश किया।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या दो द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत नेवर द्वारा दिया गया निगरानीधीन पट्टा आदेश दिनांक 08.02.1987 नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही लिया गया है। विवादित भूमि से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। विवादित भूमि आबादी भूमि है एवं खातेदारी की भूमि के समीप है। निगरानीकार द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर निगरानी को आगे नहीं चलाये जाने प्रार्थना प्रस्तुत किया है एवं निगरानी के खारिज किये जाने अनुरोध भी किया गया। ऐसी स्थिति में निगरानीकार की निगरानी स्वीकार नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जा सकती है। निगरानी मिथ्या रूप से गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के परिवारजन ने गलत तथ्यो के आधार पर पेश करवायी है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत नेवर द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत ही आदेश दिनांक 08.02.1987 द्वारा पट्टा गैर निगरानीकार को दिया गया है निगरानी खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टान एवं सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत नेवर द्वारा निगरानीधीन पटटा आदेश दिनांक 08.02.1987 द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के हक में जारी किया है। वकील निगरानीकर्ता का मुख्य कथन है कि ग्राम पंचायत नेवर द्वारा विवादित पट्टा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खातेदारी भूमि में से जारी किया है। तहसीलदार जमवारामगढ की रिपोर्ट कमांक/17/आर.ए./2167 दिनांक 12.12.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित पट्टे की भूमि खातेदारी है। वकील गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि निगरानीधीन पट्टा खातेदारी भूमि में नहीं होकर आबादी भूमि में है। निगरानीकर्ता न्यायालय हाजा में दिनांक 14.11.2017 को उपस्थित आया जिसको उसके प्रार्थना–पत्र पर सुना जाकर माना गया कि निगरानी प्रस्तुत दस्तावेजो पर निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर है जिसको नकारा नहीं गया। ग्राम पंचायत नेवर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पंचायत राज नियमो की पालना नहीं करते हुए खातेदारी भूमि में से गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 को पट्टा जारी किया है, जो नियम विरूद्ध एवं विधिसम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत नेवर के आदेश दिनांक 08.02.1987 द्वारा रामा देवी पत्नी स्व0 श्री मूलचन्द मीणा निवासी ग्राम सरजोली तहसील जमवारामगढ के हक में जारी पट्टा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. कलक्टर–प्रथम
जयपुर

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम
कलक्ट्रेट, जयपुर

Scanned by CamScanner